शीर्ष प्राथमिकता

संख्या-18/2019/423/38-4-19-123(विविध)/2017-टी0सी0-।

प्रेषक,

अशोक कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 लखनऊ:: दिनांक 08 अगस्त, 2019

विषय:-जनपद सोनभद्र की ग्राम पंचायत मूर्तिया में मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत आवास उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1198/मु0मं0आ0यो0-ग्रा0/2019-20, दिनांक 31.07.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा जनपद सोनभद्र के विकास खण्ड–घोरावल की ग्राम पंचायत मूर्तिया के राजस्व ग्राम उम्भा में भूमि विवाद की घटना के पश्चात राजस्व ग्राम उम्भा के 292 पात्र लाभार्थियों का विवरण उपलब्ध कराते हुए उक्त लाभार्थियों को मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत लाभान्वित कराये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- आपके उपर्युक्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद सोनभद्र के विकास खण्ड-घोरावल की ग्राम पंचायत मूर्तिया के राजस्व ग्राम उम्भा के उक्त 292 लाभार्थियों को मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-06/2018/216/38-4-18-123(विविध)/2017, दिनांक 02 फरवरी, 2018 के प्रस्तर-2 के उपप्रस्तर-7.1 में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

3- कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
अशोक कुमार,
विशेष सचिव।

संख्या-18/2019/423(1)/38-4-2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- मण्डलायुक्त, मिर्जापुर मण्डल, मिर्जापुर।
2- जिलाधिकारी, सोनभद्र।
3- मुख्य विकास अधिकारी, सोनभद्र।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अशोक कुमार,
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in